

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, कपकोट

E.Mail . eepwdkapkot@rediffmail.com

Ph./ Fax No. – 05963.253385 (O)

पत्रांक 2173/248

दिनांक 30/12/2016

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, बागेश्वर

विषय:-

जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट में पैठाड –दारसिंह–खातीगाँव
–नाथीसेरा से भन्तोला तक 9.500 किमी० मिलान मोटर मार्ग (प्रस्ताव सं०
15682/2015)

सन्दर्भ:-

Online EDS dated 10-08-2016

महोदय,

उक्त मोटर मार्ग से सम्बन्धित वनभूमि हस्तान्तरण ऑन लाइन प्रस्ताव संस्तुति सहित अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन देहरादून द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृत हेतु अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय एफ०आर०आई० उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित किया गया था। वन संरक्षक अल्मोड़ा के उपरोक्त सन्दर्भित पत्रांक द्वारा सूचित किया गया है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय एफ०आर०आई० उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा प्रस्ताव में आपत्तियों लगायी गयी हैं।

लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निम्न प्रकार निराकरण कर संस्तुति सहित अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

बिन्दु सं०	लगायी गयी आपत्तियों	आख्या
1	Short narrative of the project in online Part I do not give adequate information.	Construction of Phaithan-Darsingh-Khatigun-Natishera to Bantola Motor road (9.500 Km). Starting from Km 34 & 35 of BDDK Motor Road. Connecting Villages of Phaithan, Darsingh, Khatigun, Natishera Teshsil-Kapkot, District-Bageshwar (जिसे पार्ट-1 में ऑनलाइन भर दिया गया है)।
2	Authority letter is not issued for the applicant in Part I.	Due to transfer of Executive Engineer Er. Harish Pangti applicant authority is changed, Now New applicant authority is Er. Krishna Kumar Tilara.(Attached authority letter part-1A-3)
3	Proceedings of village level committee (VLC) meeting pertaining to villages Natishera and Bhantola is not provided with the FRA certificate.	VLC of Bantola Village are now provided and Uploaded in part-I. Natishera is basically a sub village/Tok of Horali therefore no need to provide VLC of Phaithan.

4	In the village wise break up the village Horali is not mentioned while it is enlisted among the villages to be benefited by the road. It is also not justified that only three villages are enlisted in the list to be benefited from the road and on the other hand only two village to be benefited from the road mentioned by CF in his recommendation in online Part II but the village wise break up gives details of four villages. The State Govt may rectify the information in all segments and give correct detail for the same with proper justification if required	Proposed road passes though four reveene villages, Named Phaithan-Darsingh, Horali & Bantola. Now in village wise breakup all these villages are enlisted an of all four villages are benefited through this road.
5	The component wise break up does not shows area marked for muck disposal and other component like bridge in online Part I. The State Govt may upload/provide the correct detail in online Part I.	Whole of the muck disposal is carried out in non forest nap land therefore it is not included in component wise break up and certificate of the same is attached and uploaded.
6	The State Govt has provided/uploaded the scanned copy of GIS software generated geo referenced digital map in Google earth map which is not acceptable. The State Govt may provide/upload the correct map showing geo coordinates at 200 to 300 m interval along the alignment including all turning points on exact to the scale and ensure the uploading of correct revised map in online Part I.	The Revised new GIS software generated geo referenced digital map showing geo coordinates to the exact scale of the proposed road at 200-300m including all turns are uploaded in (part-I C).
7	The geo-referenced digital map of area proposed for CA uploaded is not acceptable for the purpose as provided without mentioning geo-coordinates for all corners. The State Govt may provide/upload GIS software generated geo referenced digital map of the area proposed for CA providing geo coordinates at all corner points in shape (polygon/closed area) file. The Google earth map will not accepted for the purpose.	The Revised new soft copy of the geo-referenced digital map for the land proposed for CA has been submitted in google earth map (KML file) uploaded in (part-I L).
8	The Sol toposheet map locating area proposed for CA is not uploaded in Part I. The map uploaded in this column is Google earth map. The State Govt may upload the correct file.	The Revised new toposheet map uploaded in Part I
9	Copy of map indicating location of alternative examined is not uploaded in the designated place in Part I	Detail of alternative examined provided/uploaded in online Part I at designated column.
10	Justification of locating the project in forest land uploaded in Part I is not satisfactory. The State Govt may upload revised justification in the designated column.	Revised justification is now uploaded.
11	125 trees per hectare does not account for 0.2 density. The State Govt may revise the density accordingly in online Part II.	(Releated to DFO)

(3)

12	In the site inspection report by DFO is incomplete as the point 5.2, 5.3, 5.4 and 5.5 are not answered by the DFO. The same may be rectified and correct SIR may upload in the designated place in online Part II.	(Releated to DFO)
13	In the muck disposal plan it is not clear that the place identified for the disposal of muck during the construction is in forest area or in private land. If the area marked for muck dumping is in area which attracts provisions of FCA, 1980 then the State Govt may clarify that whether this area included in the area proposed for diversion or not. If not then revised proposal after addition of this area may be submit to this office along with all necessary revised document/information online.	Now all the muck disposal will be carried out in non forest Nap Land. The previously shown locations which are situated in forest area a are removed and whole of the muck is disposed of in Nap land therefore, No need to revise the proposal certificate of the same is now uploaded and attached at desived places.

भवदीय,
अधिशायी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
कपकोट

प्रारूप-1

Mr. K.K.Tilara (Executive Engineer) is here by authorized to upload the Land Transfer proposal regarding Construction of Phalthan-Darsingh-Khatigun-Natishera to Bantola Motor road (9.500 Km) of the C.D.P.W.D. Kapkot (agency name) on the Government of india portal www.forestclearance.nic.in on behalf of the Superintending Engineer (head of the Institution name/designation)

4/5.9.16

अधीक्षण अभियन्ता,
सिविल वृत्त, लोणरिठिको,
बागेश्वर।

□

प्रारूप-1

Mr. **K.K.Tilara (Executive Engineer)** is here by authorized to upload the Land Transfer proposal regarding **Construction of Phalthan-Darsingh-Khatigun-Natishera to Bantola Motor road (9.500 Km)** of the C.D.P.W.D. Kapkot (agency name) on the Government of India portal www.forestclearance.nic.in on behalf of the **Superintending Engineer** (head of the Institution name/designation)

4/5.9.16
अधीक्षण अभियन्ता,
सिविल वृत्त, लोडनिठवि.
बागेइवर।

परियोजना का नाम-वनपट्ट बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट में पैठाड़-दारसिंह
स्थानी गांव नबीसेरा से मन्वेला तक 9.50 मो. मार्ग का
निर्माण

प्रपत्र- 23

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम दारसिंह

तहसील का नाम दुर्गापुरी, जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

हेतु आरक्षित वनभूमि 0.90 हे० सिविल सोयम भूमि 0.90 हे० वन पंचायत भूमि 3.10
..... हे०) अर्थात् कुल 4.90 हे० वनभूमि का लो०नि०वि० कपकोट विभाग/संस्था के पक्ष में भारत
सरकार एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत दारसिंह द्वारा दिनांक 18-7-15 को
सम्पन्न ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में
अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के
प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी, का कब्जा/कृषि कार्य है
अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी
अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण
हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि
ग्राम दारसिंह के ग्रामवासियों का उक्त वन भूमि लो०नि०वि० कपकोट प्रयोक्त एजेन्सी को
परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य व सही है।

ह०/-

के.ए. सिंह
सरांच

वन पंचायत दारसिंह
ग्राम सचिव
विकास खण्ड-कपकोट
जिला-बागेश्वर

ह०/-

ग्राम दुर्गापुरी

ग्राम पंचायत दारसिंह
वि०ख०-कपकोट, जिला बागेश्वर
ग्राम प्रधान

परियोजना का नाम - जनपद बागेश्वर के विकास स्वच्छ रूपकोट में चेंडाड़-दरसिंह
 रानीगांव नाबीसेरा से भन्नेला तक 9.50 मो. मा.
 का निर्माण

प्रपत्र- 23

~~परियोजना का नाम - जनपद बागेश्वर के विकास स्वच्छ रूपकोट में चेंडाड़-दरसिंह
 रानीगांव नाबीसेरा से भन्नेला तक 9.50 मो. मा.
 का निर्माण~~

दिनांक 18-7-15 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
 ग्राम पंचायत दरसिंह

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
1	मल्लाड़ वारा	मल्लाड़
2	मूपालराम	मूप
3	दनी राम	दनीराम
(4)	वडादुरराम	वडादुरराम
(5)	जशपालसिंह झाकरौडा	जशपालसिंह
6	जेनीसिंह - do	जेनीसिंह
7	Krishan Singh	के.एस.एसिंह
8	Bhupendra Singh	भुपेंद्रसिंह
9	मुरारिसिंह मुरारिसिंह	मुरारिसिंह
(10)	जगतसिंह	जगतसिंह
(11)	मोथान राम	मोथान राम
(12)	दयाल राम	दयाल राम
(13)	ललीत राम	ललीत राम
(14)	दनासिंह	दनासिंह

के.एस.एसिंह
 ग्राम प्रधान
 जनपद बागेश्वर
 विकास स्वच्छ रूपकोट
 चेंडाड़-दरसिंह

हस्ताक्षर - Anwar Singh
 ग्राम प्रधान
 विकास स्वच्छ रूपकोट, चेंडाड़-दरसिंह

परियोजना का नाम - जनपद बागेश्वर के विनास खण्ड कपकोट में चेंबाड़
दारमिह खातीगाव नाबीसेरा से भन्तोला तक 9.50
मो. मार्ग का निर्माण,

प्रपत्र- 23

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम होराली

तहसील का नाम दुगनाकुरी, जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र


हेतु आरक्षित वनभूमि 1.92 हे० सिविल सोयम भूमि 0.90 हे० वन पंचायत भूमि 3.150
... हे०) अर्थात कुल 4.950 हे० वनभूमि का लो०नि०वि० कपकोट विभाग/संस्था के पक्ष में भारत
सरकार एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत दुगनाकुरी होराली द्वारा दिनांक 19-9-15 को
सम्पन्न ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में
अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के
प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी, का कब्जा/कृषि कार्य है
अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी
अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण
हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।


चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि
ग्राम होराली के ग्रामवासियों का उक्त वन भूमि लो०नि०वि० कपकोट प्रयोक्त एजेन्सी को
परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य व सही है।

ह०/-


ग्राम सचिव
वन पंचायत होराली नाबीसेरा,
पोस्ट-होराली, जिला-बागेश्वर
उत्तरांचल - 247138

ह०/-

ग्राम प्रधान

प्रधान
ग्राम पंचायत होराली
पोस्ट-कपकोट जिला-बागेश्वर

परियोजना का नाम- जनपद बागेश्वर के विनास खण्ड कपकोट में पेंडा-
दारसिंह खातीगाव नाबीसेरा से भन्तोला तक 9.50
मी. मार्ग का निर्माण,

प्रपत्र- 23

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम पेंडा

तहसील का नाम दुग्गापुरी जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

हेतु आरक्षित वनभूमि 9.60 हे० सिविल सोयम भूमि 0.90 हे० वन पंचायत भूमि 3.15
हे०) अर्थात् कुल 4.95 हे० वनभूमि का लो०नि०वि० कपकोट विभाग/संस्था के पक्ष में भारत
सरकार एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत दुग्गापुरी पेंडा द्वारा दिनांक 2-9-15 को
सम्पन्न ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में
अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के
प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी, का कब्जा/कृषि कार्य है
अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी
अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण
हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पत्ति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि
ग्राम पेंडा के ग्रामवासियों का उक्त वन भूमि. लो०नि०वि० कपकोट प्रयोक्त एजेन्सी को
परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य व सही है।

ह०/- Shankar

ग्राम सचिव

ह०/- [Signature]
ग्राम पंचायत/संस्था निवासी
द. कपकोट, जिला बागेश्वर

ग्राम प्रधान

परियोजना का नाम - जनपद बागेश्वर के विनास रण्डु कपकोट में पेठड़-दक्षिण रवावीगाव नाबीसेरा से भन्तोला तक 9.50 मो. मार्ग का निर्माण

प्रपत्र- 23

दिनांक..... 2-9-15 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत..... पेठड़

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
1	श्री राम	श्री राम
2	जोगाराम	जोगाराम
3	श्रीवा देवी	श्रीवा देवी
4	रमराम	रमराम
5	आनन्द प्रसाद	आनन्द प्रसाद
6	रुद्र प्रसाद	रुद्र प्रसाद
7	लाल राम	लाल राम
8	जोगाराम	जोगाराम
9	वदाल राम	वदाल राम
10	बुधराम	बुधराम
11	मंगलनाथ	मंगलनाथ
12	दानुशाम	दानुशाम
13	बालवंत शंकर	बालवंत शंकर
14	अमल सिंह	अमल सिंह
15	अमल सिंह	अमल सिंह
16	अमल सिंह	अमल सिंह
17	अमल सिंह	अमल सिंह
18	अमल सिंह	अमल सिंह
19	अमल सिंह	अमल सिंह
20	मानुली देवी	मानुली देवी

Shankar.

ह0 / - ग्राम पंचायत केवल विभागी
क्षेत्र कपकोट, विनास रण्डु
ग्राम प्रधान

परियोजना का नाम - प्रपत्र-23
जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट में
पैडाड - दारसिह खात्री गोव नालीसेरा से
भन्तोला तक 9.50 मी. मार्ग का निर्माण

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम .. भन्तोला

तहसील का नाम .. (कोड) .. जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

हेतु आरक्षित वनभूमि 0.09 हे० सिविल सोयम भूमि 0.90 हे० वन पंचायत भूमि 3.150 हे० अर्थात् कुल 4.950 हे० वनभूमि का लो०नि०वि० कपकोट विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ~~...~~ द्वारा दिनांक 21-9-15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपरिथत सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पत्ति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ~~...~~ के ग्रामवासियों का उक्त वन भूमि लो०नि०वि० कपकोट प्रयोक्त एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य व सही है।

ह०/-

ह०/-

ग्राम सचिव

सरपंच/सचिव

ग्राम वन अधिकारी

जिला बागेश्वर

28/12/2016

ग्राम प्रधान

सचिव

ग्राम पंचायत भन्तोला
क.क. कपकोट (बागेश्वर)

परियोजना का नाम - ^{पृष्ठ - 23} जनपद बागेरकर के विकास खण्ड कपनेट में चेडाई-दारसिंह
 रबातीगौव नाबीसेरा से भन्तोला तक 9.50 को. मार्ग
 का निर्माण,

दिनांक 21-9-15 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
 ग्राम पंचायत... भन्तोला

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों का नाम	हस्ताक्षर
1	केशवराय	
2	पुताप राय	
3	नवीन कुमार	
	रघु शालराम	
	दीवान राम	
	सुभाष कुमार	
	निनीफ कुमार	
	प्रभा जीविका	
	चन्द्रकेश	
	प्रकाश चन्द	प्रकाश चन्द
	पुताप राय	पुताप राय
	केशवराय	
	परमानराम	परमानराम
	गीत जोशी	
	बंसन्ती देवी	
	दीपा जोशी	
	...	

80/-
 मुख्यालय देवी
 ग्राम प्रथम
 बाबू पंचायत भन्तोला
 जिला बागेरकर

परियोजना का नाम

कार्योन्मत्त उप जिलाधिकारी, वागेरवा
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत कर्मासी अधिनियम 2006 के अन्तर्गत
सम्पन्न-पत्र
सम्पन्न-पत्र स्थानीय समिति - वागेरवा

उपखण्ड वागेरवा के अन्तर्गत
मन्लोला जोधपुरी (कपकोटे) स्थित वन भूमि 0.950 हेक्टर
वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 4.950 हेक्टर
निर्वाह लोक निर्माण विभाग कपकोटे प्रयावता एजेन्सी के अन्तर्गत
जनजाति और अन्य परम्परागत कर्मासी (वन अधिकार) की सम्पत्ति प्राप्ति
अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (जिहरी) द्वारा की गयी प्राप्ति
सम्पन्न बैटक की कार्यवाही का निवेदन
दिनांक 12/09/2015

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत कर्मासी वन अधिकार अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैटक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्न प्रकार है-

- 1- श्री जैगाराम चौधरी उप जिलाधिकारी
- 2- श्री सतेन्द्रनाथ सिपाही प्रमोद वन अधिकारी
- 3- श्री कालिदास सिपाही सहायक सहायक समिति अधिकारी
- 4- श्री मंगलवीर सिंह सहायक सहायक समिति अधिकारी


उपखण्ड समिति द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में सम्मेलन करने के लिए अनुमति से बैटक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्न प्रकार है-

जनपद वागेरवा के अन्तर्गत वागेरवा - मन्लोला
जोधपुरी 4.950 हेक्टर
भूमि निर्वाह लोक निर्माण विभाग कपकोटे

प्रयावता एजेन्सी के अन्तर्गत वन भूमि के सम्पत्ति प्राप्त किया गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत कर्मासी वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (जिहरी) द्वारा की गयी प्राप्ति हेतु प्रत्यावर्तन की अनुरोध की गई है।

संबंधित उप माननीय कर्मासी वन अधिकारी के प्राविधान के अन्तर्गत वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (जिहरी) द्वारा की गयी प्राप्ति हेतु प्रत्यावर्तन की अनुरोध की गई है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड वाजेश्वर परियोजना के निर्माण हेतु 4.950 हेक्टर वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सहम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त की प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।


 प्रायक समाज कल्याण अधिकारी
 विकास खण्ड कपकोट
 जनपद-बागेश्वर


उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
 सहस्रील- वाजेश्वर (दुगनापुरी)
 जनपद- बागेश्वर

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, बागेश्वर

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
 सहस्रील- वाजेश्वर (दुगनापुरी)
 जनपद- बागेश्वर


 प्रायक समाज कल्याण अधिकारी
 विकास खण्ड कपकोट
 जनपद-बागेश्वर

Photo copy Attached

 सहायक अभियन्ता
 निर्माण खण्ड लोह विभाग
 कपकोट

NOTE FOR JUSTIFICATION

1.5

परियोजना का नाम :- जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट में पैठाड-दारसिंह
-खातीगोंव- नाथीसेरा से भन्तोला तक 9.500 किमी० मिलान मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

उक्त प्रस्तावित मोटर बागेश्वर-दोफाड-धरमघर-कोटमन्या मोटर मार्ग के किमी० 34 से प्रारम्भ होता है जो बिनाडी, पैठाड, होराली, बुदाला, दारसिंह, राजकीय विद्यालय होराली एवं भन्तोला इत्यादि ग्राम को जोड़ता है जिनकी कुल आबादी 841 है। प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण से ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा होगी। वर्तमान में गाँव की महिलायें पानी, लकड़ी, चारा आदि लेने के लिए दूर जाती हैं। मार्ग निर्माण के पश्चात उनका बहुमूल्य समय बचेगा साथ ही वे अपने घर और बच्चों को अधिक समय दे पाएंगी, जिससे कि बच्चों का लालन पालन तथा पठन-पाठन ठीक से होगा तथा कुपोषण जैसी भारी समस्या दूरी हो पाएगी। गाँव में चिकित्सालय तथा विद्यालय खुलने के लिए नए अवसर मिलेंगे। ग्रामवासी अपने उत्पादित फल सब्जी, अनाज आदि को बाजार तक बिना किसी कठिनाई से ले जा पाएँ साथ ही गाँव विकास की ओर अग्रसर होगा एवं स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

यह संरक्षण आरक्षित भूमि, सिविल भूमि, वन पंचायत एवं नाप भूमि से होकर गुजरता है। अन्य किसी श्रेणी की भूमि प्रभावित नहीं होती है। संरक्षण के अन्तर्गत कोई मकान, मस्जिद, कब्रिस्तान का भाग नहीं आता है।

उक्त मोटर मार्ग की लम्बाई 9.500 किमी० तथा मार्ग की चौड़ाई 9.00 मी० ली गई है। मार्ग के निर्माण में सिविल भूमि 1.710 हेक्टेयर, वन पंचायत भूमि 3.870 हेक्टेयर, आरक्षित भूमि 0.900 है० एवं नापभूमि 2.070 हेक्टेयर प्रभावित होती है। उक्त प्रयोजनार्थ इस भूमि हेतु न्यूनतम संरक्षणों पर विचार किया गया है।

समरंखन नं०-1 इस समरंखन के अनुसार इस मार्ग का संरंखन बागेश्वर-दोफाड-धरमघर-कोटमन्या मोटर मार्ग के किमी० 34 से प्रारंभ होता है मार्ग की लम्बाई 9.500 किमी० है तथा निर्माण की लागत कम है मार्ग में 4 न० हियर पिन बैण्ड पड़ते हैं। तकनीकी दृष्टि से ग्रेड सही मिलता है। लम्बाई कम है तथा इस संरंखन के अनुसार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत हैं। वृक्षों की संख्या कम है।

समरंखन नं०-2 इस समरंखन के अनुसार इस मोटर मार्ग का समरंखन स्थल बागेश्वर-दोफाड-धरमघर-कोटमन्या मोटर मार्ग के किमी 34 से प्रारंभ होता है। मार्ग की लम्बाई 9.750 किमी० आती है। मार्ग की लम्बाई अधिक होने के कारण निर्माण की लागत अधिक आती है। इस समरंखन में अधिक वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। मार्ग में 5 न० हियरपिन बैण्ड पड़ते हैं। तकनीकी दृष्टि से ग्रेड सही नहीं मिलता तथा समरंखन के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण में ग्रामवासीयों की वन पंचायत की इमारती लकड़ी का अधिक नुकसान हो रहा है। जिससे ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत नहीं हैं।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए समरंखन नं०-2 को निरस्त कर समरंखन नं०-1 को अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अनुमोदित किया गया है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में सिविल भूमि 1.710 हेक्टेयर, वन पंचायत भूमि 3.870 हेक्टेयर, आरक्षित भूमि 0.900 है० एवं नापभूमि 2.070 हेक्टेयर प्रभावित होती है जो न्यूनतम है। मोटर मार्ग की लम्बाई 9.500 किमी० व चौड़ाई 9 मी० में ली गयी है एवं मोटर मार्ग का निर्माण करने से पूर्व यह प्रस्ताव गठित कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

अतः प्रभावित वनभूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव स्वीकृत करने की कृपा करें।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
कपकोट

अधीक्षण अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
कपकोट

अधीक्षण अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
कपकोट

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट में पैठाड-दारसिंह
-खातीगाँव- नाथीसेरा से भन्तोला तक 9.500 किमी० मिलान मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

लाभान्वित होने वाले ग्रामों / परिवारों / जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्न प्रकार स्थानीय
ग्रामों / परिवारों / जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

क्र०स०	ग्राम का नाम	लाभान्वित होने वाली जनसंख्या	परिवारों की संख्या
1	दारसिंह	221	44
2	होराली	356	71
3	भन्तोला	264	52
4-	पैठाड	160	30

↓
T.E

*Photo copy
is attached*

सहायक अभियन्ता (1)
निर्माण खण्ड लो० नि० वि० कपकोट

[Signature]
अभिजासो अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०, कपकोट

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट में पैठाड-दारसिंह -खातीगोंव- नाथीसेरा से भन्तोला तक 9.500 किमी० मिलान मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट में पैठाड- दारसिंह -खातीगोंव- नाथीसेरा से भन्तोला तक 9.500 किमी० मिलान मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.950 हे० वन भूमि निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग कपकोट (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11-9/98-एफ०सी० दिनांक 05-02-2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा-सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ०एफ०सी० केबिल व पाईपलाइन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

जिलाधिकारी
बागेश्वर
जिलाधिकारी
बागेश्वर

P.C-Attested
[Signature]

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट

प्रपत्र- 23.3

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट में पैठाड-दारसिंह
-खातीगाँव- नाथीसेरा से भन्तोला तक 9.500 किमी० मिलान मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट में पैठाड-दारसिंह -खातीगाँव-
नाथीसेरा से भन्तोला तक 9.500 किमी० मिलान मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.950 हे० वन भूमि
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग कपकोट प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति बागेश्वर तथा सम्बन्धित ग्राम
सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के
तहत व संलग्न प्रमाण-पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व
वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर
अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी
दावा लम्बित नहीं है।

P.C. Attested

जिलाधिकारी
निर्माणखण्ड लो. निर्माण विभाग
कपकोट

जिलाधिकारी
निर्माणखण्ड
बागेश्वर

Office of the Deputy Commissioner
District Bageshwar(U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (Recognition of rights) act (FRA).2006.

A meeting of the district level committee of Bageshwar district, constuted under FRA. was held under the chairmanship of Mr. Bhupal Singh Manral I.A.S. deputy Commissioner, Bageshwar on date 14/09/2015 at time 3:00 pm at Bageshwar in which applicant claiming rights in Chachai area measuring 4.950 hect for the Construction of motor road of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of kapkot sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection /claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Bageshwar

Date: 14/09/2015

Deputy Commissioner Chairman
District Level Committee
जिलाधिकारी
बागेश्वर

P. C. Altostred
सहायक जंगियला
निर्माण एवं मि. वि. वि.
कपकोट

Form-1
(for liner project)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Bageshwer

Dated... 14/09/2015

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's order 11-9/98 FC (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of applications for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest proposed road with MOEF's letter dt. 5th feb 2013 wherein MOEF has granted certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 4.950 heetares of forest and proposed road in favour of Construction Division Public Work Department Kapkot District Bageshwar for Construction of Phaithan, Darsingh, Khatigun, Natishera to Bantola motor road (9.500) in Bageshwer district falls within it is further certified that :-

- The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.950 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee are enclosed as annexure- to annexureNot application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have given their consent to it;.....Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre- agricultural communities. Certificate prescribed in form 23-4 attached.

Enclosed- as above

Dated 14/09/2015

P.G. Attested

विभागाध्यक्ष
कपकोट

Signature

(Bhupal Singh Manral)

District Collector

Seal

जिलाधिकारी
बागेश्वर

(Full name and official seal of the District Collector)

Form-II
(for liner project)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Bageshwer

Dated... 14/09/2015

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's letter No. FC (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forests (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non proposed read with MOEF's letter dt. 5th feb 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear it is certified that 4.950 heetares of forest and proposed to be diverted in favour of **Construction Division Work Department Kapkot District Bageshwar Uttarakhand for Construction of Phaithan, Khatigun, Natishera to Bhantola motor road (Length 9.500) in Bageshwer.**

Further certified that :-

The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.950 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub-Divison Level committee(s) and District level committee are enclosed as annexure.....to annexure.....

The proposal for such diversion (with full details of the project and its implication, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest dwellers, who are eligible under the FRA:
YES

The each of concered Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out And that day have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any . having understood the purpose and details of proposed diversion A copy of certificate issued by the gram sabha of **Phaithan/Darsingh Village (s)** is enclosed as annexure.....

The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: **YES**

The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: **YES**

The right of primitive gropes and pre-agricultural Communities, Where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the the FRA: **NA**

Encl: As above

P. C. Attal
सहायक जिलाधिकारी
निर्माण एवं सौ. वि. वि.
बागेश्वर

5
Bhup Singh Manral
District Collector
Bageshwar
जिलाधिकारी
बागेश्वर